समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

हनुमानगढ़ मे शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण 2025: हर पात्र मतदाता को जोड़ा जाएगा सूची मे

राजेश चौधरी
Published on 03 Nov 2025

हनुमानगढ़। जिले में **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)–2025** की गतिविधियां 28 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर **डॉ. खुशाल यादव** तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी **श्री उम्मेदीलाल मीना** ने मीडिया से संवाद करते हुए इस पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की।

डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि हर पात्र मतदाता को **मतदाता सूची मे शामिल किया जाए** और सूची को पूरी तरह **त्रुटिरहित, पारदर्शी और समावेशी** बनाया जा सके। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाताओं तक परिगणना प्रपत्र पहुँचाएंगे, जिनका संग्रह भी वहीं किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण की गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक **प्रशिक्षण और प्रिंटिंग** का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक **गणना चरण** चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन **9 दिसंबर, 2025** को होगा। इसके पश्चात एक माह तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। शेष मतदाताओं के लिए **सुनवाई और सत्यापन** 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक किया जाएगा और अंततः **7 फरवरी, 2026** को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

जिले में 27 अक्टूबर, 2025 तक कुल **14,47,472 पंजीकृत मतदाता** हैं। इनमें 70.14 प्रतिशत मतदाताओं की भौतिक मैपिंग और 59 प्रतिशत की ईसीआईनेट पर मैपिंग हो चुकी है। विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार अधिकतम मतदाता हनुमानगढ़ में 3,10,012, पीलीबंगा में 3,07,955, नोहर में 2,93,162, भादरा में 2,82,897 और संगरिया में सबसे कम 2,53,446 पंजीकृत हैं।

जिले में कुल 1294 मतदान केंद्र पहले से पंजीकृत हैं, और 255 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। इस प्रकार कुल **1549 मतदान**

केंद्रों के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा बीएलए–2 की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1023, कांग्रेस 1294 और CPI(M) ने 284 बीएलए–2 नियुक्त किए हैं।

डॉ. यादव ने बताया कि **BLO** हर मतदाता के घर तीन बार जाएंगे। वे परिगणना प्रपत्र घर-घर वितरित करेंगे और वहीं से संग्रह भी करेंगे। गणना के दौरान किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। केवल वही मतदाता, जिनका डेटा पिछले SIR से मेल नहीं खाता या लिंक नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और पात्रता के अनुसार नाम सूची में जोड़ा जाएगा।

जिला कलेक्टर ने जोर दिया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि **कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।** ERO के निर्णय के खिलाफ प्रथम अपील जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष और द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। BLO द्वारा एक दिन में अधिकतम 50 प्रपत्र जमा किए जाएंगे, जिनका सत्यापन भी BLO द्वारा किया जाएगा।

मतदाता अपनी और अपने परिजनों की जानकारी **http://voters.eci.gov.in** वेबसाइट पर देख सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए जिले में **344 हेल्प डेस्क** और **4756 स्वयंसेवक** नियुक्त किए गए हैं। ये स्वयंसेवक घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म भरने और सत्यापन में सहायता करेंगे।

नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता पात्रता साबित करने के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, भूमि/गृह आवंटन पत्र, जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र या परिवार रजिस्टर आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण–2025 का यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि **हनुमानगढ़ जिले की मतदाता सूची पूर्ण, सटीक और पारदर्शी** बनी रहे और सभी पात्र नागरिक लोकतंत्र में अपने अधिकार का उपयोग कर सकें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/राजेश चौधरी, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.